**CHHATTISGARH STATE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY (CREDA)**
(Dept. of Energy, Govt. of Chhattisgarh)
V.I.P. (Airport) Road, Near Energy Education Park, P.O. Deopuri, Raipur - 492 015 (C.G.)
Tel.: 83700 09923 • **Email**: contact.creda@gov.in • **Website**: www.creda.co.in

क्रमांक 6536/क्रेडा/संचा.संधा/नस्ती–693/2026–27 दिनांक 24/08/2026

प्रति,

मेसर्स..........................

..........................

..........................

**विषय:–वारंटी अवधि अंतर्गत स्थापित सोलर संयंत्रों के सुधार कार्य एवं शिकायतों के समयबद्ध निराकरण के संबंध में।**

विषयांतर्गत क्रेडा द्वारा विभिन्न स्थापनाकर्ता इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न प्रकार के सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र जैसे सोलर हाईमास्ट, सोलर ड्यूल पम्प, सोलर पेयजल पम्प, सोलर सिंचाई पम्प, सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करवाया जाता है। संबंधित कार्यादेश/निविदा की शर्तों के अनुसार उक्त समस्त संयंत्रों में संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा 05 वर्ष की वारंटी प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

यह संज्ञान में आया है कि, वारंटी अवधि के दौरान विभिन्न सौर संयंत्रों में तकनीकी खराबी अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न व्यवधान के फलस्वरूप संयंत्र बंद/अकार्यशील हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित स्थापनाकर्ता इकाइयों द्वारा वारंटी दायित्वों के अंतर्गत अपेक्षित तत्परता एवं समयबद्धता से सुधार कार्य नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप अनेक संयंत्र लंबे समय तक बंद/अकार्यशील रहते हैं, जिससे सौर संयंत्रों का अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाता है तथा क्रेडा एवं राज्य शासन की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की सुविधा प्रारंभ की गई है। उक्त माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय–सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः वारंटी अवधि के अंतर्गत आने वाले समस्त सौर संयंत्रों के संबंध में संबंधित स्थापनाकर्ता इकाइयों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–

1. वारंटी अवधि के अंतर्गत आने वाले समस्त सौर संयंत्रों में उत्पन्न तकनीकी खराबी अथवा अन्य सुधार कार्य संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा अपने वारंटी दायित्व के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाऐं।
2. क्रेडा जिला कार्यालय/जोनल कार्यालय अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा किसी खराब/अकार्यशील संयंत्र की सूचना दिए जाने पर संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए संयंत्र को निर्धारित समय–सीमा में पूर्णतः चालू एवं कार्यशील स्थिति में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय–सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण किया जाये तथा शिकायत के निराकरण के उपरांत संबंधित क्रेडा जिला/जोनल कार्यालय को सुधार कार्य की पूर्ण जानकारी एवं हितग्राही से आवश्यक संतुष्टि प्रमाण–पत्र/निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. यदि किसी स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा वारंटी दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया जाता है अथवा बार–बार सूचना/निर्देश दिए जाने के बावजूद निर्धारित समय–सीमा में सुधार कार्य नहीं किया जाता है, तो संबंधित कार्यादेश/निविदा की शर्तों के अधीन स्थापनाकर्ता इकाई की जमा सुरक्षानिधि से आवश्यक राशि की कटौती कर क्रेडा द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें तथा संबंधित इकाई के विरुद्ध प्रचलित नियमों तथा कार्यादेश/निविदा की शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आवश्यकता अनुसार संबंधित इकाई को भविष्य के कार्यों हेतु प्रतिबंधित/Debar करने तथा ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही भी नियमानुसार की जा सकेगी।

निरंतर..........

5. वारंटी दायित्व के निर्वहन में संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा की गई लापरवाही अथवा विलंब के कारण क्रेडा को होने वाले किसी भी प्रकार के अतिरिक्त व्यय की वसूली भी संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई से कार्यादेश/निविदा की प्रचलित शर्तों के अनुसार की जाएगी।

वारंटी अवधि अंतर्गत आने वाले सभी संयंत्रों को निर्धारित समय–सीमा में चालू एवं कार्यशील स्थिति में बनाए रखना अपेक्षित है तथा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

24/08/26

(जे.एन.बैगा)
अधीक्षण अभियंता

क्रमांक 6537/क्रेडा/संचा.संधा/नस्ती–693/2026–27 दिनांक: 24/08/2026

प्रतिलिपि:–

1. कार्यपालन अभियंता, क्रेडा जोनल कार्यालय,........................................समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक अभियंता/जिला प्रभारी, क्रेडा जिला कार्यालय,........................................समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधीक्षण अभियंता